3

टी०ए० मिस केस सं० 67/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
11.04.19	अभिलेख उपस्थापित।आवेदक **श्री चरण बोदरा** ,पिता– स्व0 सिकुर बोदरा,ग्राम– तमाडबाँध ,थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– तमाडबाँध, थाना नं०– 125,खाता नं०– 16, प्लॉट नं०–852, रकवा– 0.10 एकड़ भूमि क्रेता **श्री धनसिंह सावैयाँ**,पिता– स्व0 सातारी सावैयाँ,ग्राम– गितिलपी, थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदक के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी,सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–109, दिनांक– 06.2.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **श्री धनसिंह सावैयाँ**, पिता– स्व0 सातारी सावैयाँ ,ग्राम–गितिलपी ,थाना–**मुफ्फसिल चाईबासा** के पास 11,10,000.00/–(ग्यारह लाख दस हजार) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **श्री चरण बोदरा** ,पिता– स्व0 सिकुर बोदरा,ग्राम– तमाडबाँध थाना– **मुफ्फसिल**, क्रेता **श्री धनसिंह सावैयाँ**,पिता– स्व0 सातारी सावैयाँ,ग्राम– गितिलपी, थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास जमीन को कुल11,10,000.00/–(ग्यारह लाख दस हजार) में मौजा **तमाडबाँध**, थाना नं०–125, खाता नं०–16, लॉट नं०–852, रकवा– 0.10 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति.........दी जाती है। लेखापित 11/4/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	
	11/4/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner